PROF. G. RANGA: How many months will the General Manager take before he could give a reply on a representation made to him?

SHRI O. V. ALAGESAN: That depends upon the nature of the representation.

PROF. G. RANGA: Are we to understand that Government are satisfied with the General Manager's action —that though the reference made to him is of such importance and consequence, he is justified in delaying it for so long?

SHRI O. V. ALAGESAN: In fact he is finalising action in cases where he has got the power to take action. With regard to other matters we are expecting his recommendations and we may have them soon.

SHRI S. N. MAZUMDAR: Is the hon. Minister aware that there are some grievances relating to their scale of pay and hours of work, but there are also some grievances which can be immediately redressed, that is, lack of uniform?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what the General Manager is doing; that is what he said.

SHRI S. N. MAZUMDAR: But he has no information; he is awaiting his reply. Lack of uniform is one of their grievances which can be immediately redressed.

SHRI O. V. ALAGESAN: It applies to the whole of the North-Eastern Railway—the provision of uniform; the General Manager is attending to it.

SHRI S. N. MAZUMDAR: But can he give any definite information whether the General Manager is taking any steps to remove those grievances?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said so, Mr. Mazumdar.

REWRITING OF ADDRESSES IN ENGLISH BY POST OFFICES IN LETTERS ADDRESSED IN REGIONAL SCRIPTS

*121. SHRI D. NARAYAN: Will the Minister for COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is still a practice that post offices are required to write in Roman script the names of the places to which letters are addressed if they have originally been written in Devanagri or any regional script; and

(b) whether it is a fact that post offices are required to write the addresses of letters addressed to any place in Hyderabad State in Roman script if such addresses have originally been written in any Indian script other than Urdu?

THE DEPUTY MINISTER FOR COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): (a) Yes.

(b) Yes. Articles addressed in an Indian language and meant for delivery at a place where the staff of the Post Office are not acquainted with that language are required to be transcribed in English at the offices of posting. This is whether the articles are addressed in Urdu or in any other regional language.

श्री डी० नारायण : क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि जब देवनागरी लिपि कांस्टीट्युशन से मंजूर हो चुकी है तो उस लिपि का उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

श्री राज बहादुर : देवनागरी लिपि तो कांस्टीट्युशन द्वारा अवश्य स्वीकृत हो चुकी है किन्तु अभी देश के समस्त विद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में उसको अनिवार्य नहीं किया गया है और जब तक वह अनिवार्य नहीं हो जाती, यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक नागरिक इस लिपि को जानता ही है।

इसीलिए अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया । वैसे बहुत से कदम हिन्दी को स्टाफ में पापुलर करने के लिए उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं ।

श्री डी० नारायण : सन् १९४७ से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ, सात साल हो गये हैं, यह कोई मीडियम का सवाल नहीं है, यह सिर्फ लिपि का सवाल है, क्या सात वर्ष के भीतर पोस्टल डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों को इसका ज्ञान नहीं करवा सका ?

श्री राज बहादुर : हिन्दी को सब सर्कलों की रीजनल जबान जरूर कर दिया है किन्तु यह आशा करना कि तामिल, तेलुगु और मलयालम के लोग भी हिन्दी लिपि जानते हैं, यह एक बड़ी बात होगी ।

श्री डी० नारायण : क्या उत्तर प्रदेश में भी ट्रांसलेशन होता है ?

श्री राज बहादुर : उत्तर प्रदेश में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती ।

श्री डी० नारायण : हैदराबाद स्टेट में क्या हालत है ?

श्री राज बहादुर : हैदराबाद में तीन भाषाएं हैं ।

डिप्टी चेयरमैन : चार भाषाएं है ।

PROF. G. RANGA: I do not know what is passing on between these two gentlemen here. I would like to know what it is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why he is asking those to be translated into English.

श्री डी० नारायण : क्या हैदराबाद स्टेट में सब लोग ऊर्दू जानते हैं ?

श्री राज बहादुर : ऊर्दू में ट्रांसक्रिपशन किया जाता है, और वहां कुछ लोग ऊर्दू भी जानते हैं ।

श्री कन्हैयालाल डी० वैद्य : क्या दिल्ली और नई दिल्ली भी इस तरह के क्षेत्रों में हैं ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are concerned only with Hyderabad. Don't go to Delhi, Mr. Vaidya.

श्री राज बहादुर : दिल्ली और नई दिल्ली में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक से भिन्न २ भाषाओं और लिपियों में पत्र आते हैं ।

SHRI GOVINDA REDDY: Does the hon. Minister know that these translations result in some devils? For instance, Chittaldurg is translated as Chittagong.

SHRI RAJ BAHADUR: Such mistakes might occur sometimes due to lack of sufficient knowledge of geography on the part of a particular official.

श्री डी० नारायण : क्या कोई मियाद निश्चित की जा सकती है कि उससे आगे रोमन लिपि अनिवार्य नहीं होगी ?

श्री राज बहादुर : जब तक सारे देश में नागरी लिपि इस तरह से चालू नहीं हो जाती जिस तरह से अंग्रेजी लिपि का प्रचलन आजकल है, उस वक्त तक इस तरह का बदलाव करना उचित नहीं होगा, अगर कोई तबदीली कर दी गई तो उससे चिट्ठियां और दूसरी चीजों को भेजने गड़बड़ होगी और

इसका उत्तरदायित्व सरकार पर ही होगा ।

श्री डी० नारायण : मैंने यह पूछा था कि इसकी क्या कोई मियाद निश्चित की गई है कि रोमन लिपि को कब तक अलग किया जायेगा ।

श्री राज बहादुर : हमारे विधान में इस संबंध मे एक विशेष धारा है, माननीय सदस्य उसको देख सकते है ।

श्रीमती सारदा भार्गव : क्या सरकार यह समझती है कि हिन्दुस्तान के नागरिक हिन्दी नही जानते है ?

श्री राज बहादुर : यह सवाल तो स्टाफ से सम्बन्ध रखता है । अभी तक ज्यादातर स्टाफ को अंग्रेजी का ही ज्ञान है और हिन्दी के बारे मे कोशिश की जा रही है ।

श्री एन० एस० चौहान अंग्रेजी मे ही क्यो ट्रासलेशन कराया जाता है और प्रान्तो की जो क्षेत्रीय भाषाएं (रीजिनल लैंग्वेज) है, उनमे क्यो नही ट्रांसलेशन करवाया जाता ?

श्री राज बहादुर : जब एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को किसी रीजिनल लैंग्वेज मे चिट्ठी भेजी जाती है तो उसका ट्रासलेशन अंग्रेजी मे ही किया जाता है क्योंकि ऐसा करने मे सब लोगों को सुविधा होती है ।

श्री एच० पी० सक्सेना : यह रात और दिन का भेद और फर्क मेरी समझ में नही आया। क्या रात में रोमन लिपि में लिखा हुआ अच्छी तरह से पढा जायेगा और अगर हिन्दी मे लिखा होगा तो पढ़ने मे दिक्कत होगी ? यह रात दिन का फर्क मेरी समझ में नही आया ।

श्री राज बहादुर : रात दिन का शब्द मैनें नही कहा ।

श्री एच० पी० सक्सेना : आपने कहा तो था ।

श्री राज बहादुर : रात और दिन का फर्क तो अयां है । और माननीय सदस्य रात दिन में तमीज जरूर कर सकते है ।

डा० रघुवीर सिंह : क्या कर्मचारियों को देवनागरी लिपि सिखाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : हां, नाइट स्कूल खोले गये है । इसके अलावा जो देवनागरी और हिन्दी सिखाने वाली सस्थाये है उनको प्रत्येक कर्मचारी को हिन्दी सिखाने के लिये, जो कि हिन्दी के जानने वाले नही है, पाच रुपये के हिसाब से देते है उनको हिन्दी सिखाने के लिये ।

ADULT CIVILIAN TRAINING SCHEME

*122. SHRI N. C SEKHAR: Will the Minister for LABOUR be pleased to state

(a) how many of the trainees under the Adult Civilian Training Scheme who have passed out of the various training centres have secured employment under:—

(i) the Central Government;

(ii) the State Governments; and

(iii) other employers, and

(b) whether all the State Governments have recognised the diplomas awarded under this Scheme; and if not, why not?